HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9236/2026
URN: CRLMB / 16951U / 2026

Jansilal S/o Chotulal, Aged About 45 Years, R/o Satwada P.S. Nagarfort District Tonk (Raj) (Presently Confined In Tonk Jail)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. B.L. Dhakar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, Addl. GA

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

14/07/2026

प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– नगरफोर्ट, जिला– टोंक में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 33 / 2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8 / 20, 8 / 25 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष है, उसके चैतन्य कब्जे से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है एवं जो तथाकथित बरामदगी बताई गई है, वह गैर–वाणिज्यिक मात्रा की है। उनका कथन है कि प्रकरण में प्रार्थी / अभियुक्त दिनांक 07.05.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है तथा प्रकरण में उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी / अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो एक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है, उसमें वह जमानत पर आजाद है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी / अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए उसे अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **जंशीलाल पुत्र छोटूलाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो संबंधित थानाधिकारी के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त व उसके प्रतिभू के वर्तमान पते सत्यापित करने के उपरांत प्रार्थी/अभियुक्त को अविलम्ब निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः–

1. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थी/अभियुक्त अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रहा है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगा व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करता है, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का

संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन (अवकाश होने पर अगले दिन) संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है या ऐसे किसी अपराध की पुनरावृत्ति करता है या उसमें लिप्त पाया जाता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

MOHIT/ 23